

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कमलचन्द

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री दलीचन्द

पत्रावली संख्या : 32/22

जीसीएमएस : 2022/107

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|--|--|
| | <p>दिनांक : 28.02.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया उसकी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौजा भीमल चारणान पटवार हल्का साकरिया खेडी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 10 पर दर्ज आराजी नम्बर 686/651, 691/651 किता 2 कुल रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी एवं निर्माण कार्य करते हो। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र मौखिक कथन कर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। साथ ही प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कब्जा प्रार्थी का है तथा विपक्षीगण बाहुबल से प्रार्थी की भूमि में अविधिक तरीके से बेदखल कर निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध मे भी प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी का हो। वैसे भी प्रकरण प्रार्थी द्वारा 30.03.2022 को प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण में किसी प्रकार की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी नहीं थी। यदि विपक्षीगण बाहुबल के आधार पर कब्जा एवं निर्माण कार्य करते तो अवश्य ही प्रार्थी के पास कोई साक्ष्य होता जो पत्रावली में प्रस्तुत करता। ऐसे में स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में प्रथम दृष्टया</p> | |



मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली